न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

वर्ष 2023

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 14/23

GCMS No- 2023/58

बउनवानीः— 1. रामफूल पुत्र बजरंगा खटीक निवासी ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 87 गंगाबिहार कॉलोनी, होटल रावत पैलेस के पीछे , दौसा जिला दौसास
2. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5)/3जी(7) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956)

उपस्थितः—1. श्री श्रीदास सिंह राजावत — वकील प्रार्थी

2. श्री दीपक शर्मा — वकील अप्रार्थी 1

दिनांकः— 27.5.2025

—: निर्णय :—

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5)/3जी(7)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 के तहत ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 2811 रकबा 1.26 है0 का मुआवजा वापस लेने बाबत जारी नोटिस क्रमांक भूमि अवाप्ति/पीए/भू0अवा./2020/773 के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.(दिल्ली—बडौदरा एक्सप्रेस वे.के. 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। प्रार्थी ग्राम भगवतगढ का स्थायी निवासी है तथा प्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 2811 रकबा 1.26 है0 भूमि भगवतगढ बी मे स्थित है जिसमे से प्रार्थी द्वारा 0.26 है0 भूमि दिनांक 6.7.2006 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र लडडू लाल पुत्र बजरंगा खटीक निवासी भगवतगढ को विक्रय कर दी गयी तथा प्रार्थी व क्रेता लडडू लाल द्वारा उक्त भूमि का तकासमा करवाने के उपरान्त ख0न0 2811 रकबा 1.00 है0 प्रार्थी की खातेदारी मे तथा 5390/2811 रकबा 0.26 है0 क्रेता लडडूलाल की खातेदारी मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ है। भारत सरकार के भारत माला प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 148—एन जिला सवाईमाधोपुर मे होकर गुजर रही है जिसका वर्तमान मे प्रार्थी के ग्राम भगवतगढ मे निर्माण कार्य चालू है जिसमे प्रार्थी की आराजी ख0न0 2811 रकबा 1.00 है0 मे से 0.6463 है0 भूमि अप्रार्थीगण द्वारा अवाप्त की गयी है तथा ख0न0 5390/2811 का सम्पूर्ण रकबा 0.26 है0 राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु अवाप्त किया गया है। प्रार्थी के ख0न0 2811 रकबा 1.00 है0 मे से अवाप्त भूमि ख0न0 0.6463 है0 का अवार्ड अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार जारी कर दिया है। इस अवाप्त शुदा रकबा 0.6463 है0 का मुआवजा 14,84,527/—रू नियमानुसार जारी किया जाकर मुआवजा राशि प्रार्थी के बैंक खाता मे डाल दी गयी थी तथा अवाप्ति के बाद प्रार्थी की खातेदारी मे 0.3537 है0 भूमि शेष बची है। ख0न0 5390/2811 रकबा 0.26 है0 के खातेदार लडडूलाल पुत्र बजरंगा खटीक का भी सम्पूर्ण रकबा 0.26 है0 इस राजमार्ग मे उपयोग मे लिया जा चुका है तथा इस रकबा के अवाप्त किये जाने की तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण को प्राप्त हो चुकी है। ख0न0 2811 मे से 0.6463 है0 व ख0न0 5390/2811 का सम्पूर्ण रकबा 0.26 है0 सहित कुल रकबा 0.9063 है0 राष्ट्रीय राजमार्ग मे अवाप्त किया गया है जिस बाबत तहसीलदार चौथ का बरवाडा की रिपोर्ट दिनांक 3.6.2022 अप्रार्थीगण को प्राप्त हो चुकी है जिसका मुआवजा कार्यवाही किये जाने हेतु अप्रार्थी नम्बर 2 ने एक पत्र दिनांक 6.6.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 को प्रेषित कर दिया था। अप्रार्थीगण ने ख0न0 5390/2811 रकबा 0.26 है0 का मुआवजा अवार्ड नही बनाया तथा अप्रार्थी नम्बर 2 ने 0.26 है0 का प्राप्त मुआवजा 7 दिवस मे वापिस सरकार मे जमा कराने का प्रार्थी को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी करने के बाद अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 19.7.2021 को प्रार्थी के बैंक खाता से 5,93,810/—

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:12:35 IST
Reason: SelfAttested

(सुषमा चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

रू निकाल लिये तथा निकाल कर लडडू लाल पुत्र बजरंगा के खाते मे डाल दिये। जबकि अप्रार्थीगण को लडडूलाल की भूमि का मुआवजा अलग से बनाना था परन्तु ऐसा नही करके अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के बैंक खाता से रूपया निकाल लिया तथा लडडू लाल के खाते मे जमा करवा दिया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खाते से निकाले गये 5,93,810/–रू वापस दिलवाये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस मे अंकित किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे एन.एच.148 एन कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306 (अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) व 3डी के अनुसार अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा व सरंचना, वृक्षो, निर्माण का मुआवजा हेतु अवार्ड निर्धारण किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड निर्धारण किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड के मुताबिक ही मिन उत्तरदाता प्राधिकरण द्वारा मुआवजा राशि भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करवा दी जाती है जिसके वितरण कार्य नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र मिन उत्तरदाता को मात्र हैरान व परेशान करने की गरज से तथ्यों के विपरीत पेश किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मे चाहे गये अनुतोष निराधार है आराजी ख0न0 2811 के रकबे मे से 0.6463 भूमि एन.एच.एक्ट के प्रावधानानुसार अवाप्त की गयी और उक्त अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान नियमानुसार हितबद्व व्यक्ति के नाम सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करवा दिया गया जिससे अप्रार्थी संख्या 1 का कोई सरोकार नही रहा है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड आदेश ख0न0 2811 मे अवाप्त की गयी भूमि किस्म बारानी–1 रकबा 0.6463 है0 की भूमि की मुआवजा राशि (बाजार दर प्रति है0 644292/–रू के हिसाब से कुल मुआवजा राशि 14,84,527/–रू की मुआवजा राशि का निर्धारण हितबद्व व्यक्ति प्रार्थी के नाम तय किया गया। उक्त निर्धारित राशि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु जमा करवा दिया गया है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। यह भी अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड आदेश में भूमि की दर के संबंध में किसी प्रकार से कम या ज्यादा दर लगाकर अवार्ड आदेश का अनुतोष नही चाहा गया है तथा आर्बिट्रेटर को मात्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवाप्त भूमि के संबंध में उसकी दर को कम या ज्यादा किये जाने पर ही जारी अवार्ड आदेश पर सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है। अतः इस आधार पार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 3 जी 5 के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी(5) मे यह स्पष्ट प्रावधान है कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड आदेश मे भूमि की दर के सबंध में किसी भी प्रकार से कम या ज्यादा दर लगाकर अवार्ड आदेश का अनुतोष नही चाहा गया है। श्रीमान मध्यस्त महोदय को मात्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवाप्त भूमि के संबंध में उसकी दर को कम या ज्यादा किये जाने पर ही जारी अवार्ड आदेश पर सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है। अतः इसी आधार पर प्राथी का प्रार्थना पत्र धारा 3जी 5 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार खातेदार रामफूल पुत्र बजरंगा लाल खटीक की खातेदारी भूमि ख0न0 2811 रकबा 1.26 है0 दर्ज रिकार्ड थी जिसमे से जरिये विकय पत्र दिनांक 6.7.2006 को 0.26 है0 भूमि लडडूलाल पुत्र बजरंगा खटीक को विकय कर दिया जिसका नामा0 संख्या 262 दिनांक 14.7.2006 को स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड मे लडडू लाल के नाम अमल हो गया है। बंटवारे के अनुसार ख0न0 2811 रकबा 1.00 है0 रामफूल पुत्र बजरंगा खटीक के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया व मूल ख0न0 से बने नये ख0न0 5390/2811 रकबा 0.26 है0 एन.एच.ए.आई. सर्वे तरमीम से छूट गया जिसके कारण नोटिस मूल ख0न0 2811 के नाम से बन

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:12:35 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

गया। नवीन ख0न0 5390 / 2811 कुल रकबा 0.26 है0 एन.एच.ए.आई. के एन.एच.148 एन के निर्माण मे पूर्णतः गया है और मूल ख0न0 2811 का कुल रकबा 1.00 है0 है और इसमे से 0.3863 है0 भूमि एन.एच.ए.आई के एन.एच.148 मे गया है। तहसीलदार चौथ का बरवाडा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भगवतगढ के ख0न0 2811 के खातेदार रामफूल पुत्र बजरंगा को 0.6463 है0 भूमि का एवं ख0न0 5390 / 2811 के खातेदार लडडूलाल पुत्र बजरंगा खटीक को 0.26 है0 भूमि का भुगतान एनएचएआई द्वारा किया जाना उचित बताया गया है। तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक भू.अ. / 2024 / 488 दिनांक 27.6.2024 से भिजवायी गयी रिपोर्ट के अनुसार एन.एच.ए.आई. द्वारा बनाये गये एन.एच. 148 के निर्माण हेतु ख0न0 2811 रकबा 1.00 है0 मे से 0.6463 है0 भूमि अवाप्त किये जाने पर उक्त ख0न0 मे से शेष भूमि 0.3537 है0 भूमि रामफूल पुत्र बजरंगा के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड रही है एवं ख0न0 5390 / 2811 रकबा 0.26 है0 सम्पूर्ण अवाप्त हुई है। इस प्रकार मूल ख0न0 2811 से बने दोनो ख0न0 2811 व 5390 / 2811 से क्रमशः 0.6463 है0 व 0.26 है0 भूमि अवाप्त हुई है। किन्तु मूल ख0न0 2811 मे से बने नवीन ख0न0 5390 / 2811 रकबा 0.26 है0 का सर्वे नही होने से नवीन ख0न0 करबा 0.26 है0 का अवार्ड जारी नही हुआ है।

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि ख0न0 2811 रकबा 1.26 है0 भूमि प्रार्थी रामफूल की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड थी जिसमे से प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 6.7.2006 से 0.26 है0 भूमि लडडूलाल पुत्र बजरंगा खटीक को विक्रय की गयी। जिसका नामा0 262 दिनांक 14.7.2006 को स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड मे अमल हो गया। मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 मे ख0न0 2811 रकबा 1.00 है0 रामफूल पुत्र बजरंगा खटीक के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसमे से 0.6463 है0 भूमि एवं लडडू लाल पुत्र बजरंगा खटीक के नाम की आराजी ख0न0 5390 / 2811 रकबा 0.26 है0 एन.एच.148 के निर्माण कार्य मे पूर्णतः उपयोग मे आया है। किन्तु अवार्ड मूल ख0न0 2811 के खातेदार रामफूल पुत्र बजरंगा के नाम अवाप्त रकबा 0.6463 है0 का कुल 14,84,527 / –रू जारी किया गया है जिसको भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा गलत मानते हुए उक्त राशि मे से 5,93,810 / –रू प्रार्थी रामफूल से वापस ली जाकर लडडू लाल पुत्र बजंरग लाल को भुगतान किया गया है। जबकि प्रार्थी का यह कहना है कि उन्हे उनके हिस्से के खसरे के मुआवजे के रूप में पूर्ण राशि मिलनी चाहिए।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार प्रकरण भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि आप द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक भूमि अवाप्ति / 2024 / 107 दिनांक 18.4.2024 एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की रिपोर्ट दिनांक 27.6.2024 में अंकित तथ्यों को रिकार्ड पर लिया जाकर एवं प्रार्थी की प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों को रिकार्ड पर लिया जाकर पुनः अवाप्ति के समय पर रामफूल पुत्र बजरंगा व लडडूलाल पुत्र बजरंगा की भूमि रकबा के अनुसार गणना कर विधिसम्मत अवार्ड पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.5.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:12:35 IST
Reason: SelfAttested